तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 18/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

24.2.2021

पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी जयाराम वी पुत्र विनयन, जाति– इझावा, निवासी–मूलाकुझा, टाउन चेन्गानूर, जिला–एलेप्पी (केरल), खाद्य कारोबारकर्ता एवं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, रिक्को ग्रोथ एरिया, पालनपुर हाईवे, आबूरोड, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित।

आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.5.2019 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, रिक्को ग्रोथ एरिया, पालनपुर हाईवे, आबूरोड, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-940 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./398/Act/2019/444 दिनांक 23.5.2019 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

बहस सुनी गई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है, इसलिये अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पनीर का सेम्पल प्रतिवादी की फर्म में रखे डी फ्रीज से लिया गया है वह पनीर "अमूल कम्पनी का पनीर" था जो विक्रय के लिये नही था, बल्कि प्रतिवादी के उपयोग हेतु रखा हुआ था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पनीर का नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुसार नही की है। नमू[illegible] सुरक्षित रखने के लिये कोई पदार्थ नही मिलाया है। फ्रीज [illegible] खाद्य सामग्री का सेम्पल लेने से पूर्व उसे [illegible] है। पनीर के नमूने को टेम्परविथ [illegible] हेतु भिजवाया [illegible] है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अमूल कम्पनी को पक्षकार नही बनाया है। आ[illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त अ[illegible]यम की धारा 46 की उपध[illegible] के तहत नमूनें की द्वितीय जांच कराने के लिये जांच रिपोर्ट की प्रति

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 18/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

प्रतिवादी को नही भिजवाई है, जिसे प्रतिवादी के अधिकारों का हनन हुआ है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु दिनांक 15.5.2019 को समय 11 ए.एम. पर फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, रिक्को ग्रोथ एरिया, पालनपुर हाईवे, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की हैसियत से जयाराम वी पुत्र विनयन, जाति– इझावा, निवासी– मूलाकुझा टाउन चेन्गानूर जिला– एलेप्पी (केरल) उपस्थित मिले, जो सन होटल एण्ड रिसोर्ट में आम जनता को पनीर का खाना व सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के खाना व सब्जी बनाने हेतु उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रतिवादी जयाराम वी पुत्र विनयन को गवाह चन्द्र प्रकाश प्रजापति पुत्र श्री पूरणचन्द्र प्रजापति, कुम्हार मोहल्ला, आबूरोड़ व श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए में रसीद प्राप्त की, पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 5ए पर प्रतिवादी जयाराम वी पुत्र विनयन, उक्त गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल के डिप फ्रिज में रखे हुए पनीर लगभग 4 किलोग्राम में से एक किलोग्राम पनीर को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 290/– (अक्षरे रुपये दो सौ नब्बे) नकद अदा कर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक जार दिखाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S–940, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा पनीर को चारों साफ, सूखे, खाली जारों में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक जार में 20–20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अलग अलग [illegible] नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-940 को [illegible] अनुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध [illegible] सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी जयाराम वी पुत्र विनयन व उक्त गवाहान

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 18/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कौतामिल में जारी हुए
	के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे प्रतिवादी जयाराम वी पुत्र विनयन ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रतिवादी जयाराम वी पुत्र विनयन व उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का एक नमूना भाग व फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 17.5.2019 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष सीलबन्द तीन नमूना भाग व फार्म नं. 6 का सीलबन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 15.5.2019 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./398/Act/2019/444 दिनांक 23.5.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-940 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्या:एफएसएसए/2019/4985–87 दिनांक 11.6.2019 के द्वारा जयाराम पुत्र श्री विनयन, फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, रिक्को ग्रोथ एरिया, पालपुर हाईवे, आबूरोड़, जिला–सिरोही को को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारुप–8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन पुनः जांच हेतु प्रतिवादी ने आवेदन नही किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, रिक्को ग्रोथ एरिया, पालनपुर हाईवे, आबूरोड़, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं इस फर्म के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जयाराम वी पुत्र विनयन द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिन[illegible] के [illegible] शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक [illegible] 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी [illegible] रिक्को ग्रोथ एरिया, पालनपुर हाई[illegible] जिला– [illegible] पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुप[illegible] जुर्माना आरोपित किया जाता है। फर्म सन [illegible] ग्रोथ एरिया, ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested

...न्यायालय...
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 18/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	पालनपुर हाईव, आबूरोड़, जिला– सिरोही के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जयाराम वी पुत्र विनयन को आदेशित किया जाता है कि फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, रिक्को ग्रोथ एरिया, पालनपुर हाईव, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.4.2021 को पेश हो। 24/2/2021 (गितेश श्री मालवीया) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:03 IST
Reason: SelfAttested